भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2839
(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

पंजाब में मीडिया संगठनों को विज्ञापन सहायता

2839. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य में कार्यरत मीडिया संगठनों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विज्ञापन सहायता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त नीति की कोई समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरुगन)

(क) से (घ): सरकार द्वारा पंजाब में स्थित एजेंसियों सहित किसी भी एजेंसी को विज्ञापन संबंधी कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं के आधार पर उनकी विभिन्न सरकारी स्कीमों के लिए प्रचार अभियान संचालित करता है।

विज्ञापन, सीबीसी के साथ पैनलबद्ध एजेंसियों के माध्यम से टेलीविजन, प्रिंट, रेडियो आदि जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जारी किए जाते हैं। ऐसी एजेंसियों का विवरण सीबीसी की वेबसाइट www.cbcindia.gov.in पर उपलब्ध है।

सरकारी विज्ञापन, सीबीसी द्वारा निर्धारित लागू नीति-निर्देशों तथा मानदंडों के अनुसार जारी किए जाते हैं, जिससे पात्र मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सूचना का पारदर्शी, निष्पक्ष तथा व्यापक प्रसार सुनिश्चित होता है। टेलीविजन, प्रिंट, आउटडोर, रेडियो तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न मीडिया के लिए सरकारी विज्ञापनों के प्रसार संबंधी विशिष्ट मानदंड अथवा नीति-निर्देश सीबीसी की वेबसाइट (www.cbcindia.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

सरकार, समय-समय पर विकसित हो रहे मीडिया परिदृश्य तथा संचार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकारी विज्ञापनों के प्रसार से संबंधित नीति-निर्देशों की समीक्षा करती रहती है।
